न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 पुनरीक्षण

रामसुभग पुत्र घुरहू साहू
निवासी ग्राम अमलोरी तहसील व
जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री मुकेश भार्गव
द्वारा आज दि. 12-11-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर

विरूद्ध

म.प्र. शासन
द्वारा कलेक्टर, सिंगरौली

..... अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला – सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य –

1– यह कि, ग्राम अमलोरी तहसील सिंगरौली में स्थित भूमि खसरा नं. 546/6 रकवा 0.809 हे. भूमि का विक्रेता ललई पुत्र नाहर साहू के पक्ष में व्यवस्थापन हुआ था। विक्रेता ललई ने विधिवत तहसील न्यायालय मे आवेदन किया था जिस पर से नायब तहसीलदार सिंगरौली द्वारा प्र.कं. 64/अ–19(4)/79–80 विधिवत प्रकरण दर्ज कर समुचित जांच व कार्यवाही करते हुये ललई पुत्र

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3723–दो/15 जिला – सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.12.2015	यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा प्रकरण कमांक 16/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिव्यु पिटीशन नंबर 715/2015 में पारित आदेश दिनांक 7.10.2015 के कम में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के साथ म0प्र0 शासन के पैनल लायर को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । 3– अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम अमलोरी तहसील सिंगरौली की शासकीय भूमियों पर अवैध रूप से निजी स्वामित्व पर दर्ज अभिलेख की जांच अपर कलेक्टर सिंगरौली, उपखंड अधिकारी सिंगरौली संयुक्त कलेक्टर सिंगरौली एवं तहसीलदार सिंगरौली के जांच दल ने जांच की जिस पर से कलेक्टर सिंगरौली के न्यायालय में स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 16/अ–74/12–13 पंजीबद्ध हुआ तथा आदेश दिनांक 23.10.12 पारित करके ग्राम अमलौरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 546/6 रकबा 0.809 हैक्टर (आगे जिसे वादोक्त भूमि लिखा गया है) को	

शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये गये, इसी भूमि में आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि का अंश भाग 0.405 है0 (1.00 एकड़) भी है। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिव्यु पिटीशन नंबर 715/2015 दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 7.10.15 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर सिंगरौली के आदेश दिनांक 23.10.2012 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है ।

4– कलेक्टर सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.12 में पटट्ेदार ललई एवं केता रामसुभग साहू (आवेदक) का नाम पृष्ठ 10 कमांक 54 पर सर्वे न0 546/6 रकबा 0.405 है0 (1.00 एकड़) पर वंटित भूमि 0.809 है0 का अंश रकबा पर वंटित व्यक्ति व केता का कमांक 1 व 4 पर नाम अंकित है । कलेक्टर के उक्त आदेश में संयुक्त रूप से तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर, द्वारा पटट्ों की जांच कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.7.2012 में पृष्ठ 27 कमांक 59 पर लेख किया है कि भूमि खसरा नम्बर 546/6 रकबा 0.405 है0 वर्ष 1958–59 में मध्य प्रदेश शासन दर्ज अभिलेख था । उक्त प्रतिवेदन पट्ट्ेदार ललई व केता रामसुभग के पीठ पीछे एक ही स्थान पर बैठकर तैयार किया गया है । तथा जांच दल द्वारा उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा जानबूझकर भूमियों को शासकीय घोषित किया गया है। यदि आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो तब वह इस संबंध में सही स्थिति रख सकते थे । अतः उक्त अवैध जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर कलेक्टर सिंगरौली ने आदेश पारित करने में त्रुटि

की गई है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उनका सबंध केवल आवेदक रामसुभग साहू (क्रेता) के भूमि स्वामित्व की भूमि सर्वे न0 546/6 अंश रकबा 0.405 है0 (1.00 एकड़) तक है कलेक्टर के सम्पूर्ण आदेश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व पट्टो को निरस्त करने के बावत कारण बताओ सूचना पत्र जारी करना था एवं सुनवाई के उपरांत कानूनन निर्णय किया जाना चाहिये था जबकि इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है । यह तर्क दिया गया कि कलेक्टर द्वारा लगभग 32 वर्ष पश्चात् स्वमेव शक्तियों का उपयोग किया गया है जो विधि संगत नहीं है । इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मण्डल माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक न्याय दृष्टांतो का हवाला दिया गया है ।

5– प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि वादोक्त भूमि का पट्टा नायब तहसीलदार तहसील सिंगरौली के प्रकरण कमांक 64/अ–19/(4) 79–80 में पारित आदेश दिनांक 5.2.80 से ललई पुत्र नाहर तेली निवासी अमलोरी को हुआ है । कलेक्टर जिला सीधी (सिंगरौली जिला बनने के पूर्व का जिला) ने भूमि बन्टन में अनियमिततायें करने के आधार पर पट्टाग्रहीता के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 396/1983–84 पंजीबद्ध किया एवं आदेश दिनांक 19.8.1985 से भूमि बन्टन में अनियमिततायें न पाये जाने के कारण स्वमेव

निगरानी प्रकरण समाप्त कर दिया । प्रकरण में आये अभिलेख से यह तथ्य स्वतः स्पष्ट है कि निगरानी के अभाव में कलेक्टर जिला सीधी द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 396/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 19.8.1985 अंतिम होकर रेस्ज्यूडीकेटा का रूप ले चुका है परंतु कलेक्टर सिंगरौली ने उक्तादेश की अनदेखी करके प्रकरण कमांक 16/अ–74/12–13 में आदेश दिनांक 23.10.12 पारित कर आवेदक रामसुभग द्वारा कय की गई भूमि के अंश भाग 0.405 है0 (1.00 एकड़) को पुनः शासकीय दर्ज करने का निर्णय लेने में त्रुटि की है ।

6–प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि आवेदक रामसुभग ने रिकार्डेड भूमिस्वामी ललई पुत्र नाहर तेली निवासी अमलोरी से वादोक्त भूमि में से अंश रकबा 0.405 है0 पंजीकृत विकय पत्र से कय की है तथा विकयपत्र के आधार पर ग्राम की नामांतरण पंजी के सरल कमांक 137 पर पृविष्टि दिनांक 18.7.81 एवं आदेश दिनांक 30.8.1981 से केता आवेदक रामसुभग का नामांतरण भी हो चुका है साथ ही नामांतरण होने के बाद भी खसरे में केता आवेदक का नाम दर्ज न होने के कारण आवेदक रामसुभग ने नायब तहसीलदार अमलिया को आवेदन दिया था एवं नायब तहसीलदार अमलिया ने प्रकरण कमांक 31/अ–6/97–98 में पारित आदेश दिनांक 28.4.98 से आवेदक का नाम खसरे में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इस प्रकार के स्पष्ट तथ्य होते हुये भी कलेक्टर सिंगरौली ने आवेदक के नाम की भूमिस्वामी के रूप में फर्जी खसरा पृविष्टि होना तथा भूमि शासकीय होना किस आधार पर माना है –कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट नहीं है जिसके कारण कलेक्टर सिंगरौली द्वारा प्रकरण

R-3723-दे/15

क्रमांक 16/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7– उपरोक्त कारणों से निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/अ–74/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 आंशिक रूप से त्रुटिपूर्ण पाये जाने से आवेदक के हित तक अंशतः संशोधित किया जाकर अमलोरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 546/6 में से अंश रकबा 0.405 है0 (1.00 एकड़) पर आवेदक रामसुभग पिता घुरहू साहू का नाम पूर्ववत दर्ज किये जाने के तहसीलदार सिंगरौली को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार तत्काल राजस्व अभिलेख दुरस्त करें ।

सदस्य